



# HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक-31.08.2022

**प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर  
कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी  
गयी।**

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 26/07/2014 को थाना चिकासी जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 555/2014 धारा-354क,323,504,506 IPC व 8 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी चुरहा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।